प्रकरण संख्या 46/2021 लक्ष्मणसिंह बनाम श्रीमती दुर्गाबाई व अन्य

तारीख हुक्म	हुक्म पर कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.07.2022	पत्रावली वास्ते आदेश पेश हुए। प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं कि हाल रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अधिनस्थ न्यायालय में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 7 के संयुक्त स्वामित्व की आराजियात ग्राम मन्दावा में स्थित है, जिसके खसरा नंबर 394, 395, 399, 400, 401, 402, 403 कुल किता 7 रकबा 0.1650 हैक्टर हैं। उक्त आराजियात में वादीया का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 3 से 7 का संयुक्त रूप से 1/4 हिस्सा राजस्व रेकार्ड में दर्ज है। खातेदार पनसिंह लाऔलाद फोत हो चुका है, जिसके वारिस प्रतिवादी संख्या 3 से 7 हैं। विवादित आराजियात संयुक्त रूप से दर्ज होने से भूमि विकास में कठिनाई होती है इसलिए पक्षकारों के मध्य विवादित भूमि का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन कराया जावे एवं स्थाई निषेधाज्ञा दिलायी जावे। अधिनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 29.06.2018 से वादिया का वाद स्वीकार कर प्रकरण में अंतिम डिक्री जारी की, तत्पश्चात् दिनांक 21.01.2021 को संशोधित निर्णय व डिक्री जारी की, जिससे रूष्ट होकर अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा इस न्यायालय में यह अपील दिनांक 21.06.2021 को प्रस्तुत की गयी है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोन्डेन्टगण को नोटिस जारी किये जाने पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 की ओर से वकील श्री रामलाल मेघवाल उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3, 5, 7 की ओर से वकील श्री दीपक वया उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 की ओर से राजकीय अभिभाषक श्री कमलेश चौहान उपस्थित हुए। शेष रेस्पोन्डेन्टगण बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की जाकर उभयपक्ष की बहस सुनी।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:35 IST
Reason: SelfAttested

अपीलान्ट ने अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अपीलान्ट को उक्त निर्णय की कभी जानकारी नहीं रही। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 ने अलग से एक वाद स्थाई निषेधाज्ञा का पेश कर स्टे आदेश मार्फत पुलिस थाना सायरा से मौके पर आये तब उक्त निर्णय की जानकारी हुई। तत्पश्चात कोविड–19 की महामारी की वजह से लॉकडाउन होने से अपील समय पर पेश नहीं कर सका। अतः मयाद कण्डोन फरमायी जाकर अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे। ताईद में शपथ पत्र पेश किया।

अखण्डित शपथ पत्र, व्यक्त कारणों एवं न्यायहित में मयाद कण्डोन की जाकर अपील श्रवणार्थ ग्रहण की जाती है।

अपीलान्ट के विद्वान अभिभाषक ने अपने अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को पुनः दोहराते हुए बताया कि आप न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 34/2014 में दिनांक 16.05.2016 को यह स्पष्ट आदेश पारित किया गया कि पूर्व में जो विभाजन किया गया है वह राजस्व मण्डल के नियमानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर नहीं किया गया है। इसलिए उक्त आदेश को निरस्त करते हुए पक्षकारों की उपस्थिति में मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवारा करने हेतु प्रकरण प्रतिप्रेषित किया गया था, लेकिन अधिनस्थ न्यायालय ने पुनः जो पूर्व में बंटवारा किया गया था उसी को पत्रावली पर लेकर बिना पक्षकारों को नोटिस दिये और बिना पक्षकारों की सहमति के संशोधित निर्णय दिनांक 21.01.2021 को पारित कर दिया गया, जो विधि विरूद्ध होने से निरस्त योग्य है। अतः अपील स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त फरमायी जावे तथा अधिनस्थ न्यायालय को आदेशित किया जावे कि उक्त आराजियात का बंटवारा राजस्व मण्डल के नियमानुसार पक्षकारों की उपस्थिति में एवं उनकी सहमति से किया जावे।

उक्त बहस का जवाब देते हुए रेस्पोन्डेन्ट के विद्वान अभिभाषक ने अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री को विधि सम्मत बताते हुए अपील अपीलान्ट खारिज करने का

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:35 IST
Reason: SelfAttested

निवेदन किया।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया। अधिनस्थ न्यायालय के संशोधित निर्णय दिनांक 21.01.2021 के अवलोकन से ही स्पष्ट है कि तहसीलदार गोगुन्दा द्वारा पुनः पूर्वानुसार ही विभाजन प्रस्ताव तैयार कर पेश किया है, जबकि पूर्व विभाजन प्रस्ताव के आधार पर जारी डिक्री के विरूद्ध प्रस्तुत अपील न्यायालय हाजा द्वारा निरस्त की जाकर नये सिरे से पक्षकारों की उपस्थिति में राजस्व मण्डल के नियमानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स अंतिम डिक्री जारी करने हेतु निर्देशित किया गया था। तद्नुसार अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री प्रथम दृष्टया न्याय के नैसर्गिक सिद्धान्तों के विपरीत होने से अपास्त योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 21.01.2021 अपास्त की जाती है तथा पत्रावली अधिनस्थ न्यायालय को पुनः इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि प्रकरण में पक्षकारों की उपस्थिति में फर्द बंटवारा तैयार किया जाकर यदि उस पर किसी पक्षकार की आपत्ति हो तो सर्व प्रथम उसका निस्तारण किया जाकर सभी पक्षकारों के मध्य राजस्व मण्डल के नियमानुसार मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे।

पक्षकारान अपना पक्ष प्रस्तुत करने हेतु अधिनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.09.2022 को उपस्थित रहें। पत्रावली बाद पूर्ण प्रविश्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 19.07.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनीता मीना)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Anita Meena
Date: 2022.08.16 14:54:35 IST
Reason: SelfAttested